

**न्यायालय :- वरुण कुमार शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद, जिला भिण्ड, (म.प्र.)**

(आपराधिक प्रकरण क्रमांक :- 196/2018)

(संस्थित दिनांक :- 16/05/18)

म.प्र.राज्य की ओर से
आरक्षी केन्द्र मौँ,
जिला भिण्ड (म.प्र.)

..... अभियोजन

/// विरुद्ध ///

1. भगवान सिंह पुत्र बलराम सिंह जाटव, उम्र 29 वर्ष,
निवासी ग्राम श्यामपुरा, थाना गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)
2. सुनील सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाटव, उम्र 35 वर्ष,
निवासी ग्राम देहगांव, थाना मौँ, जिला भिण्ड (म.प्र.)

..... अभियुक्तगण

राज्य की ओर से श्री प्रवीण सिकरवार ए.डी.पी.ओ.।
अभियुक्त की ओर से श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक 30.06.18 को घोषित)

1. अभियुक्त भगवान सिंह एवं सुनील सिंह पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337(दो बार) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 5/180 के अंतर्गत यह आरोप है कि अभियुक्त भगवान सिंह ने दिनांक 27.04.18 को वाहन क्रमांक एम.पी.30एम.के.5023 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया और मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.07एम.वाय.9233 में टक्कर मारकर रमेश एवं अवधेश राठौर को उपहति कारित की। अभियुक्त भगवान सिंह पर यह भी आरोप है कि उसने बिना चालन अनुज्ञप्ति के सार्वजनिक मार्ग पर उपरोक्त वाहन को चलाया और अभियुक्त सुनील सिंह ने वाहन के स्वामी होते हुए उपरोक्त वाहन को सह अभियुक्त भगवान सिंह से सार्वजनिक मार्ग पर चलवाया।

2. प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्त भगवान सिंह को अपराध अंतर्गत धारा 337 (दो बार) भा.द.सं. जो कि शमनीय प्रकृति का अपराध है, से उक्त राजीनामे के आधार पर दोषमुक्त किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 5/180 के संबंध में ही यह निर्णय घोषित किया जा रहा है।

3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक को नौ बजे पीड़ित रमेश एवं उसका भतीजा अवधेश मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.07एम.वाय.9233 से शादी के कार्ड देने के लिए ग्वालियर जा रहे थे, गंभीर सिंह के पुरा के पास पहुंचने पर विलारा की ओर से आ रही मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.30एम.के.5023 के चालक ने वाहन को तेज रफ्तार एवं लापरवाही से चलाकर पीड़ित की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी, जिससे पीड़ित रमेश एवं अवधेश को चोट आई थी। घटना की सूचना थाना मौ पर दिए जाने पर अपराध क्रमांक 110/18 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। आहतगण की चिकित्सीय जांच कराई गई।

4. तत्पश्चात प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान नक्शामौका तैयार किया गया। घटना कारित करने वाले वाहन को जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। वाहन की मैकेनिकल जांच कराई गई। अभियुक्त भगवान सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। साक्षी अंगद, अवधेश एवं रमेश के बताए अनुसार उनके कथन लेखबद्ध किए गए। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 5/180 के अंतर्गत अपराध की विशिष्टियां विरचित कर पढकर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा।

6. प्रकरण के निराकरण के लिए निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैं—

1. क्या अभियुक्त भगवान सिंह ने घटना दिनांक को वाहन क्रमांक एम.पी.30एम.के.5023 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या अभियुक्त भगवान सिंह ने बिना प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति के उपरोक्त वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाया ?

3. क्या अभियुक्त सुनील ने वाहन के स्वामी होते हुए सह अभियुक्त भगवान सिंह से बिना प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति के उपरोक्त वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलवाया ?

सकारण निष्कर्ष

7. साक्षी रमेश (अ.सा.1) का कहना है कि घटना दिनांक को वह अपने भतीजे अवधेश के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.07एम.वाय.9233 से शादी के कार्ड देने के लिए ग्वालियर जा रहा था और जैसे ही मोटरसाइकिल गंभीर सिंह के पुरा के पास पहुंची तभी एक अन्य मोटरसाइकिल ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। साक्षी के अनुसार दुर्घटना कारित करने वाली मोटरसाइकिल का चालक अपने वाहन को लेकर विलारा की ओर भाग गया था। साक्षी ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नम्बर और उसे चलाए जाने की रीति के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की है। साक्षी का यह भी कहना है कि उसने घटना के संबंध में प्र.पी.1 की रिपोर्ट

लेख कराई थी और पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी.2 बनाया था। अभियोजन के द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.30एम.के.5023 के चालक भगवान सिंह ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी।

8. साक्षी अवधेश (अ.सा.2) ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में साक्षी रमेश के कथनों का समर्थन किया है, परंतु साक्षी ने वाहन के नम्बर और उसे चलाए जाने की रीति के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की है। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.30एम.के.5023 के चालक भगवान सिंह ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी।

9. प्रकरण में आहतगण का अभियुक्तगण के साथ राजीनामा अभिलेख पर मौजूद हैं, साथ ही साक्षी रमेश (अ.सा.1), अवधेश (अ.सा.2) ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है एवं अभियोजन की ओर से अन्य साक्षियों को परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः ऐसी दशा में अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं होता है। फलतः साक्ष्य के अभाव में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त भगवान सिंह ने घटना दिनांक को वाहन क्रमांक एम.पी.30एम.के.5023 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया।

10. जहां तक प्रश्न मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 5/180 का है उसके संबंध में यह अवलोकनीय है कि अभियुक्त भगवान सिंह के चालन अनुज्ञप्ति की एक छायाप्रति अभियोग पत्र के साथ संलग्न की गई है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि घटना के समय अभियुक्त भगवान सिंह वैध चालन अनुज्ञप्ति धारण करता था। अतः अभियोजन यह प्रमाणित करने में भी असफल रहा है कि अभियुक्त भगवान सिंह ने घटना दिनांक को वाहन क्रमांक एम.पी.30एम.के.5023 को बिना चालन अनुज्ञप्ति के सार्वजनिक मार्ग पर चलाया और अभियुक्त सुनील ने बिना चालन अनुज्ञप्ति के सह अभियुक्त भगवान सिंह से उपरोक्त वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलवाया।

11. फलतः अभियुक्तगण को धारा 279 भा.द.सं. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 5/180 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

12. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13. प्रकरण में अभियुक्तगण के द्वारा अनुसंधान एवं विचारण के दौरान निरोध में काटी गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण-पत्र पृथक से तैयार कर संलग्न किया जाये।

14. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मूलस्वामी को अंतरिम सुपुर्दगी पर प्रदान किया गया है। अतः अपील अवधि पश्चात् उक्त सुपुर्दगीनामा वाहन मालिक के पक्ष

में भारमुक्त समझा जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(वरुण कुमार शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(वरुण कुमार शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु सामान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्र
कीय / विधिक उपयोग हेतु